



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 9, 2012/पौष 19, 1933

No. 39]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 9, 2012/PAUSA 19, 1933

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2012

का.आ. 46(अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2011 की का.आ.सं. 687(ई) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिनों के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए के उप धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है ; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-ए के उप-धारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:-

संशोधन:

क्र०सं०	विषय	भूमि उपयोग का परिवर्तन	सीमाएं
1.	नई दिल्ली योजना जोन 'डी' में सफदरजंग में रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र (सीआरआईएस) कार्यालय के 18557.82 वर्ग मी. क्षेत्रफल के भू-उपयोग का प्रस्तावित परिवर्तन	'मनोरंजनात्मक' से 'सरकारी' (सरकारी कार्यालय) इस शर्त पर कि विदेश मिशन के लिए दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 के अनुसार विकास नियंत्रण इस परिसर पर लागू होगा।	उत्तर -चैक एवं स्लोवाक दूतावास पूर्व- चैक दूतावास के साथ अकबर भवन से सफदरजंग रेलवे स्टेशन फुट ओवर ब्रिज तक जाने वाली सड़क दक्षिण- रेलवे ट्रैक पश्चिम- शान्ति पथ

[फा. सं. के-13011/4/2010-डी डी I बी]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2012

S.O. 46(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 687(E), dated 4th April, 2011 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi, 2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India :

Modification

Sl. No.	Subject	Change of land use	Boundaries
1.	Proposed change of land use of the area measuring 18557.82 sq.m of the Centre for Railway Information Systems (CRIS) office at Safdurjung, New Delhi in Planning Zone 'D'.	From 'Recreational' to 'Government (Government Office)', subject to the condition that development control as per MPD-2021 for foreign mission shall be applicable for this premises.	North : Czech and Slovak Embassies. East : Road leading to the footover bridge of the Safdurjung Railway Station from Akbar Bhavan along the Czech Embassy. South : Railway Track. West : Shanti Path.

[F.No. K-13011/4/2010-DDIB]

SUNIL KUMAR, Under Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 11, 2012/पौष 21, 1933

No. 51]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 11, 2012/PAUSA 21, 1933

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2012

का.आ. 60(अ).— यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा -44 के प्रावधानों के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2011 की सार्वजनिक सूचना सं. 89(ई) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिनों के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे ।

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है ; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली के मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है ।

4. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:-

संशोधन: जोन- एफ में ओल्ड जे एन यू कैम्पस में केन्द्रीय सूचना आयोग के लिए निम्नलिखित 4653.00 वर्ग मी० माप के क्षेत्र का भू-उपयोग नीचे सूचीबद्ध वर्णन के अनुसार सार्वजनिक और अर्ध- सार्वजनिक सुविधाओं से सरकारी(सरकारी कार्यालय) में नीचे वर्णित ब्यौरे के अनुसार इस शर्त पर परिवर्तित किया जाता है कि इस विन्यास नक्शे को यातायात अध्ययन कराने के पश्चात् अनुमोदित किया जाना है:-

स्थान	क्षेत्र	भूमि उपयोग (एमपीडी-2021)	भूमि उपयोग का परिवर्तन	सीमाएं
जोन- एफ में ओल्ड जे एन यू कैम्पस में केन्द्रीय सूचना आयोग	4653 वर्ग मी०	सार्वजनिक एवं अर्ध- सार्वजनिक उपयोग(जे.एन.यू.कैम्पस)	" सरकारी उपयोग "	उत्तर -नर्सरी और सी.आई.सी. संस्थान हेतु प्रस्तावित प्लॉट पश्चिम- नाला पूर्व- विद्यमान क्वाटर्स दक्षिण- 80 फुट चौड़ी सड़क

[फा. सं. के-13011/6/2010-डी डी I बी]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2012

S.O. 60(E).— Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No.89(E) dated 17th January, 2011 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice. And

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority. And

15/6

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

The land use of the following area measuring 4653.00 sqm. for Central Information Commission in old JNU Campus, in Zone-F from 'Public and Semi-Public Facilities' to 'Government (Government Office)' is changed as per description listed below, with the condition that the layout plan is to be approved after conducting the traffic studies of the area:-

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Central Information Commission in old JNU Campus, in Zone-F	4653 sqm.	'Public and Semi-Public Use (JNU Campus)'	'Government Use'	North- Nursery and proposed plot for CIC Institute West- Nallah East- Existing Quarters South- 80' wide Road

[F. No. K-13011/6/2010-DDIB]

SUNIL KUMAR, Under Secy.